

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-4, मुरादाबाद ।

विविध वाद सं०-1589 / 2022

धारा-156(3) दं०प्र०सं०

थाना-कांठ, जिला मुरादाबाद ।

नदीम बनाम आसिफ आदि ।

19.09.2022:-

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। आवेदक अनुपस्थित। परिवादी के प्रार्थना पत्र के प्रकाश में सम्बन्धित थाने से आख्या प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चला आ रहा है। दिनांक पूर्व में न्यायहित में अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज भी ना तो परिवादी स्वयं उपस्थित है, ना ही उसकी ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे प्रार्थना पत्र आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० आवेदक की अनुपस्थिति में बल न दिये जाने के कारण निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(स्मिता गोस्वामी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-4, मुरादाबाद ।
J.O. CODE-UP2323